

**मुख्य अभियंता-5, पटना का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।**

/पटना, दिनांक-04-09-2025

पत्रांक- **II/मुअमो-5 पओपु 1-534/26**

31/25

प्रेषक,

ई0 जय किशोर ठाकुर

मुख्य अभियंता-5,

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, बगहा-1

विषय: शीर्ष **MMGSUY(RRSMP)** अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, बगहा-1 के अधीन **RRSNMP/25-26 Bagaha-1/02** तक पथ मरम्मत
(Tender ID-143076) कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

पत्रांक-अभियंता प्रमुख-साह-अपर आयुक्त-साह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का
पत्रांक-मुअमो(ओउओ)-4515-01-792/2025 पार्स-II 3223 दिनांक-05.09.2025
महाशय,

शीर्ष **MMGSUY(RRSMP)** अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, बगहा-1 के अधीन **RRSNMP/25-26 Bagaha-1/02** तक पथ मरम्मत
Tender ID-143076) कार्य के निविदा के विधीय बीड में सफल निविदाकार **M/S Sabir Husain (625076)** को उनके द्वारा
लाख पैसठ हजार अठहत्तर) रु0 मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता है। इस निविदा
के निष्पादन पर विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बगहा-1 के संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ
अग्रधन के रूप में जमा किये गये संबंधित एन0एसओसी0/पारबुक/फिक्स डिपोजिट/बैंक गारन्टी आदि का सत्यापन करकर
प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित कर्षे एवं कार्यदेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात
अयोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर्षेगें।
4. एकरारनामा के पूर्व Bid Validity की अवधि विस्तार की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त
कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय कि संवेदक डीबार सूची से मुक्त है।
6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग
द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत बीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय अगर इसमें कमी पाई
जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राथमिक स्वीकृति तथा निविदा
आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया
जायेगा।
9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में
दस्तुस्थिति से तत्क्षण अयोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि
इसमें कोई त्रुटि न हो।
11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी
तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राथमिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित
करायेंगे।
12. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम
प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।
13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि
के अंदर पूरा की जाय।
14. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपन्न के अनुसार होगी।
15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके
अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।
16. इस कार्य का व्यय विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।
17. एकरारनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरारनामा के समय
प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि

M/S SABIR HUSAIN

Sabir Husain

PARTNER

Executive Engineer
K.W.D. (W) Division
Bh. 9, Bagaha-1



कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के साथ भव्यार प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उचित मय के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता दंडात्मक कार्रवाई संवेदक के विरुद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उचित निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो ये स्वयं कार्रवाई के पत्र होंगे।

18. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणों की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु तैयार की जाती है। आप निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणों के जोखिमपरान्त आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

19. एकररनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।

20. इस निविदा की शर्तों में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

21. कार्यपालक अभियंता, एकररनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पाता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

22. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उदात्त करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत रिशा निर्देश के आलोक में अतिरिक्त चांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की शर्तें जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

23. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर माफी पुरस्का में माफी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

25. कार्यपालक अभियंता, प्राणीय कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बागहा-1 को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक-गु0आ10-4(ए0) दिनांक-23-291/2014-131 पटना दिनांक-13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-489 अजु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

27. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

28. एकररनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

29. कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

30. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ पत्र के अनुसार एकररनामा करने से पहले इनके कागजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण के क्रम यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी पायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

31. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अजु0-यथा उपर्युक्त।

विश्वासमानजन

मुख्य अभियंता-5, पटना

/पटना, दिनांक-04.09.25

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, प्राणीय कार्य विभाग, बिहार, पटना, को सूचनाार्थ समर्पित।

ज्ञापांक - 2135

मुख्य अभियंता-5, पटना

/पटना, दिनांक-04-09-25

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-5, पटना

/पटना, दिनांक-04-09-25

प्रतिलिपि: सहायक आई0टी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय, प्राणीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं ई-मेल पर उपलब्ध करने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-5, पटना

For M/s SABIR HUSAIN

Sabir Husain

PARTNER.



Executive Engineer,
B.W.D. (W) Division,
Bagaha-1